राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण
अधिसूचना

नई दिल्ली, दिनांक 10 अगस्त, 2011

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण
(विधिक सहायता क्लिनिक) विनियम, 2011

फा.सं.एल./08/11/नालसा–केंद्रीय प्राधिकरण, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (1987 का 39) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और उक्त अधिनियम की धारा 4 के उपबंधों के अनुसरण में निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :–

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ – (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (विधिक सहायता क्लिनिक) विनियम, 2011 है।

2. ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं – (1) इन विनियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो –

(क) ''अधिनियम'' से विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (1987 का 39) अभिप्रेत है,

(ख) ''जिला अविस केंद्र'' से तेरहवें वित्त आयोग की निधि से स्थापित जिला अनुकल्पित विवाद समाधान केंद्र अभिप्रेत है और जिसके अंतर्गत ऐसी अन्य समान सुविधाएं जैसे जिला स्तर पर न्याय सेवा सदन भी है,

(ग) ''विधिक सहायता क्लिनिक'' से परिक्षेत्र में लोगों को आधारीय स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने वाले प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की तरह पराविधिक स्वयंसेवक या वकीलों की सहायता से ग्रामीणों को आधारीय विधिक सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा स्थापित सुविधाएं अभिप्रेत है और जिसके अंतर्गत विधि महाविद्यालयों और विधि विश्वविद्यालयों द्वारा चलाए जाने वाले विधिक सहायता क्लिनिक भी हैं,

(घ) ''विधिक सेवा संस्था'' से यथास्थिति, कोई राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण या तालुक विधिक सेवा समिति अभिप्रेत है ।

(ड.) ''पैनल वकील'' से राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (निःशुल्क और सक्षम विधि सेवाएं) विनियम, 2010 के विनियम 8 के अधीन चयनित पैनल वकील अभिप्रेत है,

(च) ''पराविधिक स्वयंसेवक'' से किसी विधिक सेवा संस्था द्वारा प्रशिक्षित कोई पराविधिक स्वयंसेवक अभिप्रेत है,

(छ) ''पक्षीय वकील'' से राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (निःशुल्क और सक्षम विधि सेवाएं) विनियम, 2010 के विनियम 8 के अधीन चयनित पक्षीय वकील अभिप्रेत है,

(ज) ''धारा'' से अधिनियम की धारा अभिप्रेत है।

(2) सभी अन्य शब्दों और पदों के जो इन विनियमों में प्रयुक्त हैं, और परिभाषित नहीं है, किंतु अधिनियम में परिभाषित हैं, वहीं अर्थ होंगे जो उक्त अधिनियम में हैं।

3. विधिक सहायता क्लिनिक की स्थापना – वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के अधीन रहते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सभी ग्रामों में या ऐसे ग्रामों के आकार पर आधारित, विशेषतया जहां लोग विधिक सेवा संस्थानों तक पहुंच के लिए भौगोलिक, सामाजिक या अन्य अवरोध कर सामना करते हैं, अन्य ग्रामों के किसी समूहों के लिए विधिक सहायता क्लिनिकों की स्थापना करेगा।

4. विधिक सहायता क्लिनिकों में निःशुल्क विधिक सेवाओं के लिए पात्रता मानदंड – प्रत्येक व्यक्ति जो धारा 12 में विनिर्दिष्ट मानदंडों को पूरा करता है, विधिक सहायता क्लिनिकों से निःशुल्क विधिक सेवाएं प्राप्त करने का पात्र होगा।

5. विधिक सहायता क्लिनिक का प्रबंध कार्मिक – (1) विनियम 3 के अधीन स्थापित प्रत्येक विधिक सहायता क्लिनिक में विधिक सहायता क्लिनिकों के कार्य समय के दौरान कम से कम दो पराविधिक स्वयंसेवक उपलब्ध रहेंगे।

(2) क्षेत्रीय अधिकारिता रखने वाले विधिक सेवा संस्थान या जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, विधिक सहायता क्लिनिकों में प्रशिक्षित पराविधिक स्वयंसेवकों को तैयार कर सकेंगे।

(3) जब विधिक सहायता क्लिनिकों में वकीलों को तैनात किया जाता है, ऐसे क्लिनिकों में लगे हुए पराविधिक स्वयंसेवकों का यह कर्तव्य होगा कि वह वकीलों को अर्जी, आवेदन, अभिवचन और अन्य विधिक दस्तावेजों के प्रारूपण में सहायता करें।

(4) राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण पराविधिक स्वयंसेवकों को उनके लंबी अवधि के भविष्य के उत्थान के लिए विधि में डिप्लोमा या डिग्री के लिए प्रोत्साहित कर सकेगा।

6. विधिक सहायता क्लिनिक में वकीलों की तैनाती – (1) क्षेत्रीय अधिकारिता रखने वाला निकटतम विधिक सेवा संस्थान, विधिक सेवा क्लिनिक में अपने पैनल वकीलों या पक्षीय वकीलों को तैनात कर सकेगा।

(2) यदि मामले को किसी ऐसे वकील को सौंपा जाता है, जिसमें लंबी अवधि के दौरान उसके अनुर्तन और निरंतर ध्यान देने की अपेक्षा है तो उसी वकील को जिसे मामला सौंपा गया था, विधिक सेवाएं जारी करने के लिए न्यस्त किया जाएगा।

7. विधिक सहायता क्लिनिक में वकीलों द्वारा मिलने की आवृत्ति – स्थानीय अपेक्षाओं और वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के अधीन रहते हुए क्षेत्रीय अधिकारिता रखने वाली विधि सेवा संस्था विधिक सहायता क्लिनिकों में वकीलों के मिलने की आवृत्ति विनिश्चत कर सकेगा और यदि निरंतर विधिक सेवाओं को उपलब्ध कराने के लिए स्थितियों की मांग है तो ऐसी विधिक सेवा संस्था विधिक सहायता क्लिनिकों में वकीलों के बारंबार मिलने की व्यवस्था पर विचार कर सकेंगें।

8. विधिक सहायता क्लिनिकों के प्रबंध के लिए वकीलों का चयन –(1) विवादों के सौहार्दपूर्ण समाधान के कौशल वाले पैनल वकील या पक्षीय वकील विधिक सहायता क्लिनिक में तैनाती के लिए विचार किए जाएंगे।

परंतु कम से कम तीन वर्ष से व्यवसाय करने वाली महिला वकीलों को वरीयता दी जाएगी।

9. विधिक सहायता क्लिनिक में विधिक सेवाएं – (1) विधिक सहायता क्लिनिकों में दी जाने वाली विधिक सेवाएं विस्तृत प्रकृति की होंगी।

(2) विधिक सहायता क्लिनिक असुविधाग्रस्त व्यक्तियों की सहायता हेतु जब कभी आवश्यक हो, उनकी विधिक समस्याओं का समाधान करने के लिए, एकल खिड़की प्रसुविधा के समान कार्य करेंगी।

(3) विधिक सलाह के साथ–साथ अन्य सेवाएं जैसे महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी (मनरेगा) स्कीम के अधीन रोजगार कार्ड, विभिन्न सरकारी प्रयोजनों के लिए परिचय पत्र के लिए आवेदन करना जैसी अन्य सेवाएं, सरकारी कार्यालयों और लोक प्राधिकारियों के साथ संपर्क करना, सामान्य व्यक्तियों की सहायता करना जो सरकारी पदधारियों, प्राधिकारियों और अन्य संस्थानों के साथ अपनी समस्याओं के समाधान के लिए क्लिनिक में आते हैं, विधिक सहायता क्लिनिक में विधिक सेवाओं का भी भाग होगा :

परन्तु विधिक सहायता क्लिनिक किसी समस्या पर आरंभिक सलाह द्वारा सलाह देकर, अभ्यावेदन और नोटिसों प्रारूपण में सहायता, विभिन्न सरकारी योजनाओं,

लोक वितरण प्रणाली और अन्य सामाजिक सुरक्षा स्कीमों के अधीन उपलब्ध विभिन्न अभिलाभों के लिए प्ररूप भरने में सहायता प्रदान करेंगे :

परन्तु यह और कि समुचित मामलों में विधिक सहायता क्लिनिक में आवेदक द्वारा विधिक सेवा प्राप्त करने के लिए और कार्यवाही करने के लिए विधिक सेवा संस्थाओं को प्रतिनिर्देश किया जाएगा।

10. विधिक सहायता क्लिनिकों में पराविधिक स्वयंसेवकों के कृत्य– (1) विधिक सहायता क्लिनिकों में लगे हुए पराविधिक स्वयंसेवकों विधिक सलाह चाहने वाले व्यक्तियों को आरंभिक सलाह ऐसे व्यक्तियों को जो विशेषतया निरक्षर हैं अर्जी, अभ्यावेदन या सूचनाओं के प्रारूपण में, सरकारी स्कीम के अधीन उपलब्ध विभिन्न लाभों के लिए आवेदन प्रारूपों को भरने में सहायता देंगे।

(2) पराविधिक स्वयंसेवक, यदि आवश्यक हो, विधिक सहायता चाहने वाले व्यक्तियों के साथ सरकारी कार्यालयों में पदधारियों के साथ संपर्क करने के लिए और ऐसे व्यक्तियों की समस्याओं को हल करने के लिए जाएंगे।

(3) यदि विधिक सहायता क्लिनिक पर किसी वकील की सेवाओं की आवश्यता है तो पराविधिक स्वयंसेवक बिना किसी विलंब के निकटतम विधिक सेवा संस्थान से किसी वकील की सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए संपर्क करेंगे।

(4) आपात दशा में पराविधिक स्वयंसेवक विधिक सेवा क्लिनिक में विधिक सेवा चाहने वाले व्यक्ति को निकटतम विधिक सेवा संस्था ले जाएंगे।

(5) पराविधिक स्वयंसेवक विधिक सहायता क्लिनिकों में विधिक सेवा चाहने वाले व्यक्तियों को विधिक शिक्षा और साक्षरता की सहायता में पुस्तिका और अन्य सामग्री वितरित करेंगे।

(6) पराविधिक स्वयंसेवक विधिक सहायता क्लिनिकों के स्थानीय क्षेत्र में विधिक सेवा संस्थानों द्वारा आयोजित विधिक जागरूकता कैंपों में सक्रिय रूप से भाग लेंगे।

11. विधिक सहायता क्लिनिक की अवस्थिति – (1) विधिक सहायता क्लिनिक ऐसे स्थानों पर अवस्थित होंगे जहां परिक्षेत्र के व्यक्ति सहजता से पहुंच सकें।

(2) विधिक सेवा संस्था स्थानीय निकाय संस्थाओं जैसे ग्राम पंचायत से अनुरोध कर सकेंगे कि वह विधिक सहायता क्लिनिक की स्थापना के लिए कोई कक्ष उपलब्ध कराएं :

परन्तु यदि ऐसा कोई कक्ष उपलब्ध नहीं होता है, तब तक जिला विधिक सेवा प्राधिकरण विधिक सहायता क्लिनिक की स्थापना के लिए अनुकल्पित अवस्थान उपलब्ध होने तक किराए पर कक्ष उपलब्ध कराएगा।

12. विधिक सहायता क्लिनिक के लिए सुविधाजनक कक्ष प्राप्त करने में स्थानीय निकाय संस्थाओं की सहायता :– (1) राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ग्राम पंचायत, मंडल या ब्लाक पंचायत, नगरपालिका और निगम आदि जैसी स्थानीय निकाय संस्थाओं से अपेक्षा करेगा कि वे विधिक सहायता क्लिनिक के कार्यकरण के लिए स्थान उपलब्ध कराए।

(2) चूंकि विधिक सहायता क्लिनिक परिक्षेत्र में लोगों की प्रसुविधा के लिए होता है, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण इस आवश्यकता पर जोर दे सकेगा कि स्थानीय निकाय संस्था और प्रशासक विधिक सहायता क्लिनिकों के कार्यकरण में सहयोग करें।

13. विधिक सहायता क्लिनिक के नाम को प्रदर्शित करने वाला साईन बोर्ड :– (1) अंग्रेजी और स्थानीय भाषा दोनों में, एक साईन बोर्ड होगा, जिसमें विधिक सहायता क्लिनिक के नाम, कार्य घंटे और दिनों, जिनको विधिक सहायता क्लिनिक खुला रहेगा, उल्लेख होगा।

(2) विधिक सहायता क्लिनिक के कार्य, घंटे राज्य क्षेत्रीय अधिकारिता रखने वाली विधिक सेवा संस्था द्वारा, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के परामर्श से विनियमित किए जाएंगे।

परन्तु परिक्षेत्र में लोगों की स्थानीय शर्तों और अपेक्षाओं के अधीन रहते हुए, विधिक सहायता क्लिनिक सभी रविवारों और अवकाश के दिनों को कार्य करेंगे।

14. विधिक सहायता क्लिनिक में अवसंरचना – (1) प्रत्येक सहायता क्लिनिक में कम से कम मूलभूत और आवश्यक फर्नीचर जैसे एक पेज और 5 से 6 कुर्सियां होंगी।

(2) यदि विधिक सहायता क्लिनिक की स्थापना किसी स्थानीय निकाय संस्थाओं के भवन में की जाती है तो ऐसे स्थानीय निकायों से अनुरोध किया जाएगा कि वे विधिक सहायता क्लिनिक में उपयोग के लिए आवश्यक फर्नीचर उपलब्ध कराएं।

(3) यदि विधिक सहायता क्लिनिक किसी किराए पर लिए गए परिसर में स्थापित किया जाता है तो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, विधिक सहायता क्लिनिक में अपेक्षित फर्नीचर उपलब्ध करा सकेगा :

परन्तु यदि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के पास विधिक सहायता क्लिनिक स्थापित करने के लिए अपना भवन है तो अवसंरचनात्मक सुविधाएं ऐसे प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध कराई जाएंगी।

15. प्रचार :– (1) स्थानीय निकाय संस्थाओं से अनुरोध किया जाता है कि वे विधिक सहायता क्लिनिक का पर्याप्त प्रचार करें।

(2) स्थानीय निकाय संस्थाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों से अनुरोध किया जाए कि वे अपने निर्वाचन क्षेत्र या वार्ड में लोगों तक विधिक सहायता क्लिनिक की उपयोगिता के संदेश का प्रसार करें।

16. विधिक सहायता क्लिनिक में पराविधिक स्वयंसेवी या वकील विवादों को सौहार्दपूर्ण रूप से सुलझाने का प्रयास करेंगे :– (1) विधिक सहायता क्लिनिक में लगे हुए पराविधिक स्वयंसेवी या वकील विधिक सहायता क्लिनिकों में लाए गए व्यक्तियों के पूर्व मुकदमा विवादों का समाधान करने का प्रयास करेंगे।

(2) यदि पराविधिक स्वयंसेवी या वकील यह महसूस करते हैं कि ऐसा विवाद अनुकल्पित विवाद समाधान तंत्रों के माध्यम से सुलझाया जा सकता है तो वे ऐसे विवादों को राज्यक्षेत्रीय अधिकारिता रखने वाली विधिक सेवा संस्था या जिला अनुकल्पित विवाद समाधान केंद्र को निर्दिष्ट कर सकेंगे।

17. विधिक सहायता क्लिनिकों में सेवाएं प्रदान करने वाले वकीलों और पराविधिक स्वयंसेवियों के मानदेय :–

(1) उपलब्ध वित्तीय संसाधनों के अधीन रहते हुए, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के परामर्श से विधिक सहायता क्लिनिक में लगे हुए वकीलों और पराविधिक स्वयंसेवियों का मानदेय नियत कर सकेगा :

परन्तु ऐसा मानदेय वकीलों के लिए कम से कम 500/– रूपए प्रतिदिन और पराविधिक स्वयंसेवियों के लिए 250/– रूपए प्रतिदिन होगा।

(2) उन मामलों में जहां विधिक सहायता क्लिनिक उन कठिन भू–भागों में और सुदूर स्थानों में जहां परिवहन सुविधाएं अपर्याप्त हैं, स्थित हैं, वहां विशेष महत्व दिया जाएगा।

18. निकटतम विधिक सेवा संस्थानों द्वारा विधिक सहायता क्लिनिकों में या अपने परिसरों के निकट लोक अदालतें आयोजित करना :– (1) राज्यक्षेत्रीय अधिकारिता रखने वाली निकटतम विधिक सेवा संस्था या जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, विधिक सहायता क्लिनिक में या उसके आसपास के क्षेत्र में पूर्व मुकदमा विवादों के लिए अदालतें आयोजित कर सकेगा।

(2) विधिक सहायता क्लिनिक से भेजे गए विवादों के पूर्व मुकदमा निपटारे के लिए आयोजित लोक अदालतें धारा 20 की उपधारा (2) में विहित प्रक्रिया और राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (लोक अदालत) विनियम, 2009 के उपबंधों का भी अनुसरण करेंगे।

19. विधिक सहायता क्लिनिक का प्रशासनिक नियंत्रण – (1) विधिक सहायता क्लिनिक, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सीधे प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन होंगे।

(2) राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को विधिक सहायता क्लिनिकों के कार्यकरण के संबंध में निदेश या मार्गदर्शी सिद्धांत जारी करने की शक्ति प्राप्त होगी।

20. अभिलेखों और रजिस्टरों का रखरखाव – (1) विधिक सहायता क्लिनिक में सेवा प्रदान करने वाले वकील और पराविधिक स्वयंसेवी विधिक सहायता क्लिनिक में रखे गए रजिस्टर में अपनी उपस्थिति अभिलिखित करेंगे।

(2) विधिक सेवाओं की मांग करने वाले व्यक्तियों के नाम और पते, ऐसे वकील या पराविधिक स्वयंसेवी का नाम जो विधिक सहायता क्लिनिक सेवाएं प्रदान करता है, प्रदान की गई सेवा की प्रकृति वकील या पराविधिक स्वयंसेवी की टिप्पणियां और विधिक सेवाओं की मांग करने वाले हस्ताक्षर को अभिलिखित करने के लिए प्रत्येक विधिक सहायता क्लिनिक में एक रजिस्टर होगा।

(3) विधिक सहायता क्लिनिकों के अभिलेख विधिक सहायता सेवा के अध्यक्ष या सचिव के अधीन होंगे, जिनकी उसके ऊपर राज्य क्षेत्रीय अधिकारिता है।

(4) जिला विधिक सेवा प्राधिकरण विधिक सहायता क्लिनिक से अपेक्षा कर सकेगा कि वह ऐसे अन्य रजिस्टर, जिनकी अपेक्षा की जाए, भी रखें।

(5) विधिक सहायता क्लिनिक में पराविधिक स्वयंसेवियों और वकीलों का यह कर्तव्य होगा कि वे जब कभी अपेक्षा की जाए राज्य क्षेत्रीय अधिकारिता रखने वाली विधिक सेवा संस्था को रजिस्टर सौंपे।

21. चल लोक अदालत यान का उपयोग – (1) विधिक सहायता क्लिनिक में विधिक सेवा प्रदान करने वाले वकील या पराविधिक स्वयंसेवी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से अनुरोध कर सकेंगे कि वे उनके द्वारा पहचान किए गए विवादों के निपटारे के लिए विधिक सहायता क्लिनिक लोक अदालत न्यायपीठ के सदस्यों सहित चल लोक अदालत वेन भेजें।

लोक अदालत की प्रक्रियाओं को आयोजित करने हेतु सुविधाओं से युक्त मोबाईल लोक अदालत वेन का प्रयोग विधिक सहायता क्लिनिक या उसके पास या गांवों में मेला एवं अन्य त्यौहारिक अवसरों पर लोक अदालत आयोजित करने हेतु प्रयोग की जा सकती है।

22. विधि छात्रों द्वारा लीगल एण्ड क्लीनिक (विधिक सहायता क्लीनिक) का संचालन :–

उपरोक्त विनियम विधि महाविद्यालयों और विधि विश्व विद्यालयों द्वारा स्थापित लीगल एण्ड क्लीनिक्स के छात्रों को यथाआवश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे।

परन्तु यह कि उपरोक्त विनियम अंतर्गत स्थापित लीगल एड क्लीनिक विधि महाविद्यालयों और विधि विश्वविद्यालयों के छात्रों द्वारा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की अनुज्ञा से उपयोग किया जा सकता है।

23. विधिक सहायता शिविरों हेतु विधि के छात्र किसी ग्राम को चुन/अपना सकते हैं :–

(1) विधि महाविद्यालयों या विधि विश्वविद्यालयों के विधि छात्रगण एक ग्राम को एडाप्ट कर सकते हैं, विशेषकर दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में और उपरोक्त विनियम के अंतर्गत स्थापित विधिक सहायता क्लीनिक के सहयोग से विधिक सहायता शिविरों का आयोजन कर सकते हैं ।

(2) विधि छात्र, पैरालीगल वालेन्टियर जो लीगल एड क्लीनिक से सम्बद्ध है, के सहयोग से स्थानीय लोगों की विधिक समस्याओं को चिन्हित करने हेतु सर्वे आयोजित कर सकते हैं।

(3) उपविनियम 2 में संदर्भित सर्वे में ऐसी सूचनाएं संकलित की जा सकती है, जो वर्तमान वादों से संबंधित है और न्यायालय में वाद दायर करने के पूर्व के असंकल्पित विवादों से भी संबंधित है।

(4) उपविनियम 2 में संदर्भित सर्वे द्वारा स्थानीय लोगों की समस्याओं पर ध्यान डाला जा सकता है जिसके द्वारा राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की धारा 4 (डी) द्वारा प्रदत्त सामाजिक न्याय याचिकाओं के माध्यम से आवश्यक कदम उठाने में सक्षम होगा।

(5) ऐसे सर्वेक्षण आयोजित करने वाले विधिक छात्र अपने प्रतिवेदन राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को प्रेषित करेंगे और प्रतियां क्षेत्रीय अधिकारिता रखने वाली संस्था को साथ ही जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को भी प्रेषित करेंगे।

24. विधि महाविद्यालयों, विधि विश्वविद्यालयों और अन्य संस्थाओं से संबद्ध विधिक सहायता क्लीनिक्स –

(1) विधि महाविद्यालय, विधि विश्वविद्यालय और अन्य संस्थाएं लीगल एड क्लीनिक की स्थापना क्लीनिकल विधिक शिक्षा के भाग के रूप में धारा 4 के खण्ड (के) में परिकल्पित अनुसार स्थापित कर सकते हैं ।

(2) ऐसी विधिक सहायता क्लीनिक को स्थापित करने वाले विधि महाविद्यालय, विधि विश्वविद्यालय व अन्य संस्थाएं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को ऐसी स्थापना के संबंध में सूचित करेंगे।

(3) राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जैसी विधिक सहायता क्लीनिक के संचालन हेतु आवश्यक तकनीकी सहायता प्रदान करेंगे और ऐसी विधिक सहायता क्लीनिक के कार्यकलापों को आगे बढ़ने हेतु आवश्यक कदम उठाएंगे।

(4) अंतिम वर्ष की कक्षाओं के छात्र अपनी संस्था के संकाय सदस्य के पर्यवेक्षण के अधीन ऐसे विधिक सहायता क्लिनिकों में विधिक सहायता प्रदान कर सकेंगे।

(5) राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण उन लोगों की जो ऐसे विधिक सहायता क्लिनिकों में विधिक सहायता की मांग करते हैं, जिनकी समस्या का समाधान करने के लिए अनुकल्पित विवाद समाधान शिविर जिनके अंतर्गत लोक अदालतें भी हैं, आयोजित कर सकेंगी।

(6) जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ऐसे छात्रों को प्रमाण पत्र जारी कर सकेगा, जो ऐसे विधिक सहायता क्लिनिकों में अपने समनुदेषन को पूरा करते हैं।

25. विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा प्रशिक्षित पराविधिक स्वयंसेवियों की सेवाएं विधि महाविद्यालयों, विधि विश्वविद्यालयों द्वारा संचालित विधिक सहायता क्लिनिकों में उपलब्ध कराई जाएं – प्रशिक्षित पराविधिक स्वयंसेवी निःशुल्क विधिक सेवाओं की मांग करने वाले व्यक्तियों की सहायता करने वाले और संकाय के सदस्यों और छात्रों के साथ अन्योनक्रिया करने के लिए नियम 24 के अधीन स्थापित विधिक सहायता क्लिनिकों में तैनात किए जाएं।

26. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों द्वारा विधिक सहायता क्लिनिकों के कार्यकरण के आवधिक पुनर्विलोकन संचालित करना – (1) राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों, विधि महाविद्यालयों, विधि विश्वविद्यालयों, से उनकी अधिकारिता में कार्यरत विधिक सहायता क्लिनिकों के कार्यकरण पर मासिक रिपोर्ट एकत्रित करेगा।

(2) राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण तीन मास में कम से कम एक बार या अधिक बारंबार ऐसे विधिक सहायता क्लिनिकों के कार्यकरण का आवधिक पुनर्विलोकन संचालित करेगा ।

(3) राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण विधिक सहायता क्लिनिकों में सेवाओं का सुधार करने के लिए समय–समय पर यह सुनिश्चित करने के लिए निदेश जारी कर सकेगा कि समाज के कमजोर वर्गों के सदस्यों को दक्ष रीति में विधिक सेवाएं उपलब्ध कराई जाती है।

(4) राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण उनकी अधिकारिता के भीतर विधिक सहायता क्लिनिकों के कार्यकरण के बारे में त्रिमासिक रिपोर्ट राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण को भेजेगा।

यू. शरतचंदन, सदस्य सचिव

(विज्ञापन III/4/123/11-असा.)